

## भाग-5

(इस वन प्रभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकरण अधिकारी को अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है )

जनपद सोनभद्र में हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लि० (रेणुसागर पावर डिवीजन) रेणुसागर को 132 के०वी० विद्युत पारेषण लाइन हेतु हस्तांतरित 38.2591 हे० आरक्षित वनभूमि को 25 वर्षों (दिनांक 09.02.2016 से 08.02.2041 तक) के लिये लीज के नवीनीकरण के सम्बन्ध में।

चूंकि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा लीज अवधि की समाप्ति के 01 वर्ष से अधिक के विलम्ब से आवेदन किया गया है, जिस कारण वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्राविधानों का उल्लंघन हुआ है। अतएव उक्त उल्लंघन के लिए प्रयोक्ता एजेन्सी के विरुद्ध वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के पैरा 4.3 में प्रदत्त व्यवस्थानुसार पैनल कम्पनसेटरी एफोरेस्टेशन लगाये जाने की संस्तुति की जाती है।

Proposal संख्या- FP/UP/Trans/18048 /2016

राज्य सरकार की सिफारिशों -पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या- 1646 /81-2-2018-145(233)/64, दिनांक 16 जुलाई, 2019 के द्वारा प्रस्ताव पर संस्तुति सहित अनुमोदनार्थ अग्रसारित।

(उपर्युक्त भाग-ख या भाग-ग या भाग-घ में से किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गयी प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाये।)

हस्ताक्षर

( Fl )

नाम और पदनाम  
सरकारी मोहर

( आशीष तिवारी )  
विशेष सचिव  
पर्यावरण, वन एवं  
जलवायु परिवर्तन विभाग  
उ० प्र० शासन

दिनांक :- 16/07/19